



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSAH 26, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सा. का.नि. 18(अ). – केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसरचना संरक्षण केन्द्र, ब्लाक-III, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली 110067, जोकि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक संगठन है, को महत्वपूर्ण सूचना अवसरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल अभिकरण/अभिहित करती है।

[फा. सं. 9(16)/2004-ई.सी.]
आर.के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

S.O. 18(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby designates the National Critical Information Infrastructure Protection Centre, Block-III, JNU Campus, New Delhi-110067, an organisation under the National Technical Research Organisation, as the national nodal agency in respect of Critical Information Infrastructure Protection.

[No. 9(16)/2004-EC]

R.K. GOYAL, Jt. Secy.